कार्यालय नगर निगम सहारनपुर।

पत्रांक 1338/सम्प0अनु0/न0नि0सहा0/2020-21 दिनांकः- 14/09/2020

विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है, कि नगर निगम सहारनपुर सीमा में स्थित 31 कम्यूनिटि टॉयलेट एवं 26 पब्लिक टॉयलेटकी देख-रेख /रख-रखाव/सफाई व्यवस्था बनाये रखने हेतु शौचालयों को संस्था/ठेकेदार/एन0जी0ओ0 को दिये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 22.09.2020 को ई-निविदा को आमंत्रित की जाती है, एच्छिक संस्था/ठेकेदार/एन0जी0ओ0 नियत तिथि पर निम्नलिखित शर्तो के अनुसार अपना प्रस्ताव नगर निगम कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है।

नोट 1- ठेके के निमित्त निर्धारित जमानत राशि अंकन 2,00,000.00 रू0(दो लाख रूपये मात्र) की एफ.डी.आर,डी0डी0 जो लेखाधिकारी नगर निगम सहारनपुर के नाम बंधक होगी, के साथ रंगीन फोटो, चरित्र प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति एक दिन पहले कार्यालय में जमा करनी होगी।

2-ठेके से संबंधित सभी शर्तें सम्पत्ति अनुभाग में देखी/पढी जा सकती है, व सूचना व शर्तें नगर निगम की वेबसाईट www.saharanpurnagarnigam.in व एन0आई0सी0 की वेबसाईट www.saharanpur.nic.in पर भी उपलब्ध है।

3- ठेका बिना कारण बताये स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार नगर आयुक्त नगर निगम सहारनपुर में निहित होगा।

4- ऑनलाईन निविदा दिनांक 22.09.2020 को अपरान्ह् 12:00 बजे तक ऑनलाईन के माध्यम से तथा दिनांक 22.09.2020 अपरान्ह् 02:00 बजे तक कार्यालय मे रखें में टैण्डर बॉक्स में टेक्निकल निविदां को डाले जाने तथा तद्दिनांक को सांय 04:00 बजे निविदां गठित समिति एंव निविदा दाताओं के समक्ष खोली जायेगी।

6- टैण्डर शुल्क अंकन 1298/-रू0 (माल एवं सेवा कर सहित) देय होगा।

प्रभारी अधिकारी सम्पत्ति
नगर निगम, सहारनपुर।

नगर स्वास्थ्य अधिकारी
नगर निगम, सहारनपुर।

पत्रांक एवं दिनांक तदैव।
मा0 महापौर की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः-

1-नगर आयुक्त महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2-लेखाधिकारी, नगर निगम सहारनपुर।
3-मुख्य कर निर्धारण अधिकारी, नगर निगम सहारनपुर।
4-प्रभारी निरीक्षक, थाना कोतवाली कुतुबशेर को उपरोक्त तिथि में पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराने हेतु।
4- प्रभारी मीडिया को इस आशय से प्रेषित कि उक्त निविदा सूचना का प्रकाशन (सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग उत्तर प्रदेश तथा विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृति दरों पर) रोस्टर के अनुसार दो समाचार पत्र दैनिक .... एंव दैनिक.............................. समाचार पत्र में कम से कम स्पेस में, नौ फांट में, प्रकाशित कर, बिल 3 प्रतियों सहित भुगतान हेतु प्रस्तुत करें। यदि आपके समाचार पत्र द्वारा उक्त निर्देश का उल्लंघन किया जाता है, तो आपके बिल से कटौती कर भुगतान किया जायेगा, अथवा बिल का भुगतान बाधित किया जा सकता है। जिस हेतु कोई क्लैम मान्य नही होगा।
5- रिकार्ड कीपर को नीलाम की व्यवस्था कराने हेतु।
6- नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

नगर स्वास्थ्य अधिकारी
नगर निगम सहारनपुर।

Scanned with CamScanner

–:नगर निगम सीमा में स्थित कम्यूनिटी व पब्लिक टॉयलेट रख–रखाव के आयोजित ई–टैण्डर हेतु निर्धारित शर्तें :–

01. निर्मित शौचालय (Ladies & Gents) व उससे संलग्न भूमि का स्वामित्व नगर निगम का होगा।

02 ठेके की निमित्त जमानत राशि अंकन 2,00,000.00 की एफ0डी0आर0 के रुप में जमा करनी होगी। एफ0डी0आर0 लेखाधिकारी, नगर निगम, सहारनपुर के नाम बन्धक होगी।

03. टैण्डर शुल्क अंकन 1298/– रू0 (माल एंव सेवा कर सहित) देय होगा।

04. जमानत राशि सम्पूर्ण ठेका अवधि तक बन्धक रहेगी तथा टैण्डर शर्तों के अनुसार ठेका सम्पन्न करते रहने पर ठेका अवधि के पश्चात ठेकेदार को वापस कर दी जायेगी। नगर निगम का कोई बकायेदार बिना बकाया राशि जमा कराये टैण्डर में भाग नहीं ले सकेगा। ब्लैक लिस्टेड ठेकेदार/बोलीदाता टैण्डर में किसी भी दशा में भाग नही ले सकता है।

05. ठेके के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय नगर आयुक्त, नगर निगम सहारनपुर का होगा तथा ठेके स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार नगर आयुक्त नगर निगम में निहित होगा। आवश्यकतानुसार शर्तों में संशोधन का अधिकार भी नगर आयुक्त नगर निगम में निहित होगा।

06. कार्यदायी संस्था/ठेकेदार/एन0जी0ओ0 द्वारा उक्त कार्य की सबटीनेन्सी/सबलेटिंग नही किया जायेगा।

07. शौचालय के संचालन व लाईट के लिए विद्युत कनेक्शन नगर निगम सहारनपुर के नाम से संचालक द्वारा लिया जायेगा, व विद्युत बिल का भुगतान संचालक द्वारा किया जायेगा।

08. शौचालयों का रख–रखाव, जल मूल्य, सफाई व्यवस्था, का समस्त उत्तरदायित्व संचालक/संचालन करने वाली संस्था/ठेकेदार/एन0जी0ओ0 का होगा।

09. कार्यदायी संस्था/ठेकेदार/एन0जी0ओ0 द्वारा निर्मित शौचालयों पर वैध विज्ञापन का प्रदर्शन साईनिंग बोर्ड, ग्लोसाईन बोर्ड एल.ई.डी. अथवा फलैक्स आदि के माध्यम से दीवार पर नही किया जा सकेगा।

10. यह अनुबंध/अनुमति वर्ष 2020 से अगले 05 वर्षों के लिए प्रभावी होगा। यह अवधि व्यतीत होने के बाद कार्य सन्तोषजनक होने पर नवीनीकरण हो सकेगा।

11. किसी वाद–विवाद के उत्पन्न होने की स्थिति में वाद क्षेत्र सहारनपुर स्थित जिला एवं सत्र न्यायालय ही होगा।

12 निविदा से पूर्व जिलाधिकारी द्वारा जारी न्यूनतम दस लाख रू0 का हैसियत प्रमाण हैसीयत प्रमाण पत्र एव वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा 02 वर्ष अवधि के अन्दर जारी चरित्र प्रमाण पत्र, 02 वर्ष अवधि का अनुभव प्रमाण पत्र, निगम कार्यालय में जमा कराना होगा।

13– निविदा स्वीकृति की सूचना प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर अनुबन्ध निष्पादन कराना होगा उसके बाद ही कार्यादेश जारी होगा।

14– शौचालय उपयोगकर्ता से सेवा शुल्क निम्नवत् लिया जायेगा।

शौच प्रति व्यक्ति	05/– रु.
स्नान प्रति व्यक्ति	05/– रु.
पेशाब प्रति व्यक्ति	निशुल्क
दिव्यांग व्यक्तियों के लिये	निशुल्क

15–ठेकेदार ठेका स्थल पर 3X3 वर्ग फीट का एक बोर्ड स्थापित करेगा, जिस पर ठेकेदार का नाम, ठेके की अवधि व लिये जाने वाले शुल्क/दर का विवरण अंकित करेगा। ऐसा न करने पर उसे अवैध कृत्य/शर्तों का गंभीर उल्लंघन मानते हुये ठेका निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।

16– निरीक्षण में अव्यवस्था पाये जाने पर नगर निगम नोटिस देकर अनुबंध निरस्त कर सकेगा।

17– आवश्यकता पडने पर न्यूनतम 05 वर्षो के उपरान्त यूजर चार्ज की दरों में परिवर्तन दोनो पक्षों की सहमति से संभव हो सकेगा।

18– शौचालय के ऊपर नगर निगम सहारनपुर एवं स्वच्छ भारत मिशन का लोगो प्रदर्शित करते हुये बोर्ड लगाना आवश्यक होगा। साथ ही यूजर चार्ज की दरें भी पदर्शित की जायेगी।

19–क्षेत्रीय कमजोर वर्ग के परिवारों को 100/–रू0 प्रतिमाह प्रति परिवार की दर से सामुदायिक शौचालय उपयोग हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।

20–पब्लिक टॉयलेट से प्राप्त होने वाली धनराशि से ही कम्यूनिटी टॉयलेट का रख–रखाव व संचालन किया जायेगा, इसके लिये कोई भी अतिरिक्त भार नगर निगम द्वारा वहन नही किया जायेगा।

21–यह कि उक्त निविदा की शर्ते है, ठेके का अनुबन्ध अलग–अलग होगा, जिसमें उस ठेके से सम्बन्धित विस्तृत शर्ते अंकित होगी।

प्रभारी अधिकारी सम्पत्ति
नगर निगम, सहारनपुर।

नगर स्वास्थ्य अधिकारी
नगर निगम, सहारनपुर।

Scanned with CamScanner